न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)

जिला न्यायाधीश संवर्ग

01. **फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 280/2026**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 37/2026, आरक्षी केन्द्र कल्याणपुर,
CNR : RJBA010008842026

इरफान अली पुत्र नासीर अली, उम्र 33 वर्ष, निवासी पुष्पांजली स्कूल के पास बम्बाबारी, पुलिस थाना सदर, जिला जोधपुर ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अप्रार्थी

02. **फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 281/2026**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 37/2026, आरक्षी केन्द्र कल्याणपुर,
CNR : RJBA010008852026

भोमेश कुमार उर्फ भोमाराम पुत्र कुम्भाराम, उम्र 27 वर्ष, निवासी कुम्हारो की ढाणी, बालेसर दुर्गावतान देवनगर, पुलिस थाना बालेसर, जिला जोधपुर ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अप्रार्थी

03. **फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 282/2026**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 37/2026, आरक्षी केन्द्र कल्याणपुर,
CNR : RJBA010008862026

मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद सईद, उम्र 39 वर्ष, निवासी 657 चमनपुरा नई सडक, पुलिस थाना सदर, जिला जोधपुर ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 37/2026, पुलिस थाना कल्याणपुर, अपराध अन्तर्गत धारा 140(3), 127(2), 308(5), 309(4), 3/5 भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–

1. श्री उमरदीन मेहर, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त इरफान अली की ओर से।
2. श्री जोगाराम दमामी, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त भोमेश कुमार उर्फ भोमाराम की ओर से ।
3. श्री जोबिन खान, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त मोहम्मद इरफान की ओर से ।
4. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 05.06.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इरफान अली, भोमेश कुमार उर्फ भोमाराम व मोहम्मद इरफान की ओर से तीन पृथक–पृथक जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किए । नकल लोक अभियोजक को दिलवाई जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । तीनों जमानत आवेदन एक ही सी.आर. नंबर से संबंधित होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. प्रार्थी भोमेश कुमार उर्फ भोमाराम के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी ने न तो परिवादी से गाड़ी किराये पर ली है न ही परिवादी के साथ लूट कारित कर गाड़ी व रुपये प्राप्त किए थे । वास्तविकता यह है कि प्रार्थी भोमेश कुमार उर्फ भोमाराम गाड़ी रिपेयरिंग का कार्य करता है और उसके गैराज पर छह–सात महीने पहले हुकमाराम व जोगाराम गाड़ी रिपेयरिंग करवाने आए थे उस समय से हुकमाराम व जोगाराम से पहचान थी । बाद में हुकमाराम एक स्विफ्ट कार उसके पास लेकर आया और उसे बताया कि वह किसी से रुपये मांगता था, जिसके बदले उसने स्विफ्ट कार ली है जो उसे बेचनी है, जिस पर प्रार्थी ने हुकमाराम पर भरोसा कर कार क्रय की थी उसके अलावा प्रार्थी का कोई लूट कारित करने में योगदान नहीं है ।
3. यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी ने जो स्विफ्ट कार हुकमाराम व जोगाराम द्वारा प्राप्त की है वह लूट की हो, उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी ।
4. यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी दिनांक 31.05.2026 से अभिरक्षा में है । प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज या लंबित नहीं है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

5. प्रार्थी मोहम्मद इरफान के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूँठा संलिप्त किया है । प्रार्थी ने न तो कोई लूट कारित की है न ही लूट द्वारा प्राप्त सम्पत्ति को प्राप्त की है । वास्तविकता यह है कि भोमेश को प्रार्थी मोहम्मद इरफान जानता था जो उसके पास गाड़ी लेकर आया और उसने बताया कि उसे वह गाड़ी बेचनी है तब इरफान अली जो कि कबाड़ी का काम करता है उससे भोमेश को मिलने हेतु कहा उसके अलावा प्रार्थी की कोई भूमिका नहीं है । यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी दिनांक 31.05.2026 से अभिरक्षा में है । प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज या लंबित नहीं है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

6. प्रार्थी इरफान अली के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी इरफान अली कबाड़ी का व्यवसाय करता है उसे भोमेश द्वारा हुकमाराम से वाहन क्रय करने बाबत् लिखावट बताकर हुकमाराम से गाड़ी क्रय करना बताया है एवं उसे बेचने हेतु प्रार्थी को कहा, जिस पर प्रार्थी ने विश्वास कर वाहन को उसकी स्थिति को देखकर 50,000/- रुपये में क्रय किया था । प्रार्थी को इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि जिस वाहन को उसे विक्रय किया जा रहा है वह लूट द्वारा प्राप्त सम्पत्ति हो । प्रार्थी के विरुद्ध लूट कारित करने का आरोप नहीं है । प्रार्थी दिनांक 31.05.2026 से अभिरक्षा में है । प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

7. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण के विरुद्ध लूट की सम्पत्ति को व्ययन करवाने में सहयोग करने एवं लूट की सम्पत्ति प्राप्त करने के अपराध का आरोप है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:–

क्र.सं.	मुकदमा नं.	धारा	पुलिस थाना	नतीजा चालान	जॉच परिणाम
-	-	–	–	–	-

9. उभय पक्षकारान की ओर से दिये गये तर्कों को सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी पर संकलित साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थीगण के विरुद्ध परिवादी के साथ लूट कारित करने व स्विफ्ट डिजायर कार नंबर आरजे 14 टीडी 0891 या कोई वस्तु या नकद लूटने का आरोप नहीं है अपितु लूट से प्राप्त सम्पत्ति को व्ययन करवाने में सहयोग करने एवं क्रय करने का आरोप है । प्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज या लंबित होना नहीं बताया गया है । प्रार्थीगण दिनांक 31.05.2026 से अभिरक्षा में है ।

प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में भी समय लगने की पूर्ण संभावना है। इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

10. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इरफान अली, भोमेश कुमार उर्फ भोमाराम व मोहम्मद इरफान की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत् पचास हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो मौतबीर जमानतें अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

11. आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

GOVIND SHANKER KIRADOO

Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Date: 2026.06.06 07:54:31 +0530